Title: Demanded immediate suspension of the two accused Government officials of Jabalpur on the charge of cheating a person of Rs. 77 thousand against whom an FIR has been lodged in 1992.

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक घोखाधड़ी का मामला है और मध्य प्रदेश का है। आदिम जाति कल्याण थाना ओमती, जबलपुर में 30.5.1992 को ठाकुरदीन चौधरी ने दो व्यक्तियों …(Expunged as ordered by the Chair) के विरुद्ध नौकरी लगवाने के नाम पर घोखाधड़ी करके रकम ऍठने की सिकायत दर्ज कराई थी। वहां 77 हजार रूपये की घोखाधड़ी की गई है और पुलिस द्वारा घारा 420 के अंतर्गत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है लेकिन आरोपियों को आज तक गिरपडुतार नहीं किया गया है। जबिक इसी तरह के प्रकरण में लिप्त आदिम जाति विभाग अम्बिकापुर के * को कलेक्टर सरगुजा ने निलम्बित कर दिया है। जबिक * के खिलाफ 19 लाख रुपये के गबन का मामला जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में करने का, मदनमहल थाने जबलपुर में दर्ज है। वह कर्मचारी आज भी जिम्मेदारी वालेज पद पर कार्यरत है। उसे तत्काल निलम्बित किया जाये।

MR. SPEAKER: Hon. Members, today we have a number of Bills to pass and also the Motion of Thanks on the President's Address. If the House agrees, we can forego the lunch and continue the proceedings.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

^{*} Expunged as ordered by the Chair.